रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2004.

हिमाचल प्रदेश

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 28 अप्रैल, 2004/8 बैशाख, 1926

कार्यालय उपायुक्त चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

चम्बा-176310, 20 अप्रैल, 2004

क्रमांक पंच-चम्बा-(शिकायत) 2/98-58-65.—जैसे कि उप-मण्डलाधिकारी (ना0), चुराह की जांच रिपोर्ट संख्या 938, दिनांक 6-6-2003 से पाया गया कि श्री प्रेम लाल प्रधान, ग्राम पंचायत शलैलावाड़ी, विकास खण्ड तीसा, के 7, 8 मास पूर्व उनके घर में एक लड़की का जन्म हुआ है । जिसका जन्म क्रमांक आठवां है । परन्तु दिनांक 18-6-2003 की जांच रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रधान अनुसार उनकी पत्नी श्रीमती ठाकुरी देवी के साथ 2-3 साल से पति पत्नी का कोई सम्बन्ध नहीं है तथा उनकी पत्नी दो वर्ष से उनके भाई मोहन लाल के साथ रह रही है, जो वह उनके बड़े भाई की पत्नी है । परन्तु श्री प्रेम लाल व श्रीमती ठाकुरी देवी के आपस में सन्धि विच्छेद होने व श्री मोहन लाल के साथ शादी होने के वैधानिक तौर पर कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है । इस प्रकार श्री प्रेम लाल प्रधान, ग्राम पंचायत शलैलावाड़ी की यह आठवीं

सन्तान है जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) धारा 122 की उप-धारा के खण्ड ण के प्रावधान लागू होने के दिनांक 8-6-2002 के उपरान्त उत्पन्न हुई है, जिसके फलस्वरूप श्री प्रेम लाल ग्राम पंचायत शलैलावाड़ी के प्रधान के पद हेतु पदासीन रहने के अयोग्य हो चुके हैं ।

इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के कारण बताओ नोटिस पंच चम्बा (शिकायत) 2/98-1372-75, दिनांक 29-10-2003 द्वारा श्री प्रेम लाल प्रधान, ग्राम पंचायत शलैलावाड़ी को अपना पक्ष स्पष्ट करने का मौका दिया गया था परन्तु इस बारे आज दिनांक तक कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । जिससे स्पष्ट होता है कि उन्हें इस बारे कुछ नहीं कहना है ।

अतः मैं, राहुल आनन्द (भा0 प्र0 से0), हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (1) (क), 131 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, श्री प्रेम लाल, प्रधान, ग्राम पंचायत शलैलावाड़ी, विकास खण्ड तीसा के पद पर पदासीन रहना समाप्त करता हूं तथा ग्राम पंचायत शलैलावाड़ी के प्रधान पद को रिक्त घोषित करते हुये उन्हें आदेश देता हूं कि यदि उनके पास ग्राम पंचायत शलैलावाड़ी का कोई अभिलेख, धन या चल-अचल सम्पति हो तो उसे तुरन्त सचिव, ग्राम पंचायत को सौंप दें ।

राहुल आनन्द (भा0 प्र0 से0),
उपायुक्त,
चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ।

कार्यालय उपायुक्त, शिमला, जिला शिमला
हिमाचल प्रदेश

कारण बताओ नोटिस

शिमला, 2 अप्रैल, 2004

संख्या पीसीएच-एमएमएल (4) 3/78-2295-99.—एतद्द्वारा श्री ओम प्रकाश उप-प्रधान, ग्राम पंचायत घरयाणा, विकास खण्ड बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0) का ध्यान हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) के खण्ड (ग) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है, जो निम्नतः है:—

कोई व्यक्ति पंचायत का पदाधिकारी चुने जाने या होने के लिये निरर्हित होगा, "यदि उसने, राज्य सरकार, नगरपालिका, पंचायत या सहकारी सोसायटी की या उस द्वारा या उसकी ओर से पट्टे पर ली गई या अधिगृहित किसी भूमि का अधिक्रमण किया है, जब तक कि उस तारीख से जिसको उसे उससे बेदखल किया गया है, छः वर्ष की अवधि बीत न गई हो या वह अधिकान्ता न रहा हो"।

यह कि श्री मस्त राम, गांव घरयाणा, डा0 व तहसील सुन्नी, जिला शिमला से प्राप्त शिकायत पत्र पर तहसीलदार, सुन्नी के माध्यम से करवाई गई प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट से यह पाया गया कि श्री ओम प्रकाश, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत घरयाणा का सरकारी भूमि खसरा नं0 35 में स्थित 0-04-79 हैक्टेयर बाका मौजा शिल में नाजायज कब्जा है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त श्री ओम प्रकाश, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत घरयाणा द्वारा वर्ष 2000 में उप-प्रधान पद के निर्वाचनार्थ नामांकन पत्र दायर करते समय सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जा न होने बारे झूठी घोषणा की गई है, जबकि तहसीलदार सुन्नी के कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र अनुसार उसने मौजा शिल में सरकारी भूमि खसरा नं0 35 में स्थित 0-04-79 हैक्टेयर भूमि पर वर्ष 1977 से कब्जा होना

स्वीकार किया है। इसलिये हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (ग) के प्रावधान अनुसार वह ग्राम पंचायत धरयाणा के उप प्रधान पद पर बने रहने के लिये निरर्हित हो गये हैं।

अतः मैं, एस0 के0 बी0 एस0 नेगी, उपायुक्त, शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (1) (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उक्त श्री ओम प्रकाश, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत धरयाणा, विकास खण्ड वसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं कि वह इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर अपना उत्तर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें कि क्यों न उन्हें इस कृत्य के लिये हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम के प्रावधान अनुसार उनके पद से हटा कर ग्राम पंचायत, धरयाणा के उप-प्रधान पद को रिक्त घोषित कर दिया जाये। उनका उत्तर निर्धारित अवधि तक प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जायेगा कि उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा तदोपरान्त उक्त अनिनियम के प्रावधान अनुसार उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाई अमल में लाई जायेगी।

शिमला, 2 अप्रैल, 2004

सं0 पीसोएच-एसएमएल (4) 188/85-2300-04.—एतद्द्वारा श्री हुक्म चन्द जोशी, सदस्य ग्राम पंचायत धार गौरा, विकास खण्ड रामपुर, तहसील रामपुर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश का ध्यान हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) के खण्ड (ग) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है, जो निम्नतः है :—

कोई व्यक्ति पंचायत का पदाधिकारी चुने जाने या होने के लिए निरर्हित होगा, "यदि उसने राज्य सरकार, नगरपालिका, पचायत या सहकारी सोसाइटी की, या उस द्वारा या उसकी ओर से पट्टे पर ली गई या अधिगृहित किसी भूमि का अधिक्रमण किया है, जब तक कि उस तारीख से जिसको उसे उससे बेदखल किया गया है, छः वर्ष की अवधि बीत न गई हो या वह अधिकान्ता न रहा हो"।

यह कि श्री जोगी राम, गांव व डा0 गौरा, तहसील रामपुर जिला शिमला मे प्राप्त शिकायत-पत्र पर तहसीलदार, रामपुर के माध्यम से कारवाई गई प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट से यह पाया गया कि हुक्म चन्द जोशी, सदस्य, ग्राम पंचायत धार गौरा का सरकारी भूमि आरजी खसरा नं0 404/1, रकबा तादादी 007-70 हैक्टेयर में नाजायज कब्जा है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त श्री हुक्म चन्द जोशी, सदस्य, ग्राम पंचायत धार गौरा द्वारा वर्ष 2000 में सदस्य पद के निर्वाचनार्थ नामांकन-पत्र दायर करते समय सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जा न होने बारे झूठी घोषणा की गई है, जबकि तहसीलदार रामपुर के कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन-पत्र अनुसार उसने सरकारी भूमि खसरा नं0 404/1 में स्थित 007-70 हैक्टेयर भूमि 10-12 वर्ष से कब्जा होना स्वीकार किया है। इसलिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1)(ग) के प्रावधान अनुसार वह ग्राम पंचायत धार गौरा के सदस्य पद पर बने रहने के लिए निरर्हित हो गए हैं।

अतः मैं, एस0 के0 बी0 एस0 नेगी, उपायुक्त शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(1)(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उक्त श्री हुक्म चन्द, सदस्य, ग्राम पंचायत धार गौरा, विकास खण्ड रामपुर, तहसील रामपुर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं कि वह इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर अपना उत्तर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें कि क्यों न उन्हें इस कृत्य के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के प्रावधान अनुसार उनके पद से हटा कर ग्राम पंचायत, धार गौरा के सदस्य पद को रिक्त घोषित कर दिया जाए। उनका उत्तर निर्धारित अवधि तक प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जाएगा कि उन्हें इस

सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा तदोपरान्त उक्त अधिनियम के प्रावधान अनुसार उनके विरुद्ध एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ।

एस० के० बी० एस० नेगी,
उपायुक्त,
शिमला, जिला शिमला ।

कार्यालय उपायुक्त ऊना, जिला ऊना (हि० प्र०)

कार्यालय आदेश

ऊना, 31 मार्च, 2004

संख्या पंच-ऊना-निर्वाचन-2003-2034-2040. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने अपने कार्यालय पत्र संख्या बी० डी० जी० (पंच) 2003-1032, दिनांक 24-9-2003 अनुसार ग्राम भद्रकाली के वार्ड नं० 4 के पंचायत सदस्य श्री ओम प्रकाश के तीसरी सन्तान दिनांक 12-9-2002 के जन्म की पुष्टि की है। इस तथ्य की पुष्टि हेतु उक्त श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री रूल्दू राम पंच वार्ड नं० 4. ग्राम पंचायत भद्रकाली को इस कार्यालय के पत्र संख्या 1946-50, दिनांक 17-2-2004 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया था कि आप इस कारण बताओ नोटिस के मिलने के 15 दिनों के भीतर-भीतर इस सम्बन्ध में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए लिखा गया था । जिसका उत्तर पंच श्री ओम प्रकाश ने दिनांक 25-2-2004 को दिया है जिस में उसने अपनी तीसरी जीवित सन्तान का होना ठीक माना है ।

यह कि उक्त श्री ओम प्रकाश, पंच ग्राम पंचायत भद्रकाली, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम 2000 की धारा 19 द्वारा अन्त:स्थापित खण्ड (ण) की उल्लंघना करते हुए 8-6-2001 के पश्चात् अर्थात् 12-9-2002 को तीसरी सन्तान पैदा करके वह उक्त ग्राम पंचायत के पंच पद पर बने रहने के लिए निर्हित हो गया है ।

अत: मैं रजनीश, उपायुक्त ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 122(2) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की संशोधित धारा 122(1) (ण) की उल्लंघना करने पर श्री ओम प्रकाश वार्ड नं० 4, ग्राम पंचायत भद्रकाली के पद पर बने रहने के लिए अयोग्य घोषित करता हूं तथा उक्त अधिनियम की धारा 131(2) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भद्रकाली के वार्ड नं० 4 के पंच पद को रिक्त घोषित करता हूं ।

ऊना, 29/31 मार्च, 2004

संख्या पंच-ऊना (निर्वाचन) 2003-2041-44.—यह कि पंचायती राज संस्थाओं के मास दिसम्बर, 2000 में सम्पन्न हुए द्वितीय सामान्य निर्वाचन के अन्तर्गत श्री कृष्ण मुरारी पुत्र श्री बंसी लाल, सदस्य, वार्ड नं० 3, ग्राम पंचायत धुसाड़ा, विकास खण्ड अम्ब निर्वाचित घोषित हुआ था ।

यह कि उपरोक्त श्री कृष्ण मुरारी पंचायत सदस्य, वार्ड नं० 3, ग्राम पंचायत धुसाड़ा, खण्ड विकास अम्ब का निधन दिनांक 14-3-2003 को हो जाने के कारण ग्राम पंचायत धुसाड़ा के वार्ड नं० 3 का पद रिक्त हो गया है ।

अत: मैं रजनीश (भा० प्र० से०) उपायुक्त ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(4) के अन्तर्गत श्री कृष्ण मुरारी पंच वार्ड नं० 3, ग्राम पंचायत धुसाड़ा के पद को रिक्त घोषित करता हूं ।

रजनीश,
उपायुक्त,
ऊना, जिला ऊना (हि० प्र०) ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित